स0–542/ I I(2)/2021–04(08)/2020

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांक, 20 मार्च, 2021**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सैक्टर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण मद के कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक। (घोषणा संख्या– 387/2019)**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–60/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/CM(योजना) दिनांक 22.01.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण मद के अन्तर्गत निम्न योजना के प्राक्कलन की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 30.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 12.14 लाख (रू0 बारह लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

योजना का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत	अवमुक्त की जा रही धनराशि
Estimate for Investigate, Surveying, Analysis, Design and Preparation of DPR for construction of Lake/Reservior of Village Matiyali(Dadamandi) at Kho(Langoor Gaad) river in Dwarikhal Block of District Pauri Garhwal **(घोषणा सं0–387/ 2019)**	**30.34**	**12.14**

(रू0 बारह लाख चौदह हजार मात्र)

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vi) प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः.....2

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–292/9(150)–2019/XXVII (1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशो एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(x) विभाग द्वारा पी0एफ0आर0 तैयार करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर डी0पी0आर0 का निर्माण किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण (किशाउ बांध सम्मिलित करते हुए)–03–निर्माण कार्य–42–अन्य व्यय निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–781/XXVII(2)/2020, दिनांकः 19 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक– Allotment ID

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–542(1)/II(2)/2021–04(08)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ रोड, देहरादून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. अनु सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय(घोषणा) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।